

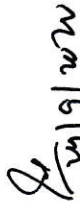
भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	विदिशा जिले में नारायण यादव के आवास से भगवानपुर तक सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग के निर्माण हेतु 0.0564 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 0.048 हेक्टेयर) वन भूमि मुख्य नगरपालिका विदिशा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:—24.09.2020

स्थान:— भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal